



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 288]

नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 19, 2007/फाल्गुन 28, 1928

No. 288]

NEW DELHI, MONDAY, MARCH 19, 2007/PHALGUNA 28, 1928

विद्युत मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 मार्च, 2007

का.आ. 394(अ)।—केन्द्रीय सरकार, ऊर्जा कार्यकुशलता व्यूह से परामर्श करके, खपत की गई ऊर्जा की संघनता या परिमाण ऊर्जा दक्षता उपकरण के परिवर्तन के लिए अपेक्षित विनिधान की रकम तथा उद्योग द्वारा अपेक्षित इसमें विनिधान करने के लिए उद्योग की क्षमता तथा ऊर्जा दक्ष मशीनरी और उपकरण की उपलब्धता के संबंध में यह समाधान हो गया है कि ऊर्जा के कुछ उपयोक्ता या उपयोक्ताओं के बीच को अभिहित उपभोक्ता के रूप में विनिर्दिष्ट किया जाना चाहिए;

ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 52) की अनुसूची कातिपय सघन ऊर्जा उद्योग और अन्य स्थापनों को अभिहित उपभोक्ता के रूप में विनिर्दिष्ट करता है;

और केन्द्रीय सरकार, यह विचार करती है कि यह उपबंध करना आवश्यक है कि केवल सघन ऊर्जा उद्योग और अन्य स्थापन जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर प्रत्येक उद्योग या स्थापन के सामने यथा उपर्योग वार्षिक ऊर्जा खपत है, अभिहित उपभोक्ताओं के रूप में अधिसूचित किए जाएं।

अतः, इसलिए केन्द्रीय सरकार, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 14 के खंड (ङ) और (च) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ऊर्जा दक्षता व्यूह से परामर्श करके, उक्त अधिनियम की अनुसूची में विनिर्दिष्ट अन्य सघन ऊर्जा उद्योग और स्थापन की सूची में परिवर्तन करती है, अर्थात्:—

1. तापीय विद्युत केन्द्र—तेल समतुल्य का 30,000 मीट्रिक टन (एमटीओई) प्रति वर्ष और अधिक
2. खाद—तेल समतुल्य का 30,000 मीट्रिक टन (एमटीओई) प्रति वर्ष और अधिक
3. सीमेंट—तेल समतुल्य का 30,000 मीट्रिक टन (एमटीओई) प्रति वर्ष और अधिक
4. लोहा और इस्पात—तेल समतुल्य का 30,000 मीट्रिक टन (एमटीओई) प्रति वर्ष और अधिक
5. क्लोर—अल्कली तेल समतुल्य का 12,000 मीट्रिक टन (एमटीओई) प्रति वर्ष और अधिक
6. एल्युमिनियम—तेल समतुल्य का 7,500 मीट्रिक टन (एमटीओई) प्रति वर्ष और अधिक
7. रेल—
- (क) प्रत्येक जानल रेल के विद्युत कर्षण उप केन्द्र (टीएसएस) में अधिकतम ऊर्जा उपभोग नीचे दी गई सारणी के अनुसार होगा—

सारणी

| रेल जोन        | टीएसएस की सूची |
|----------------|----------------|
| (1)            | (2)            |
| मध्य रेल       | वर्धा          |
| पूर्व रेल      | टीटागढ़        |
| पूर्व मध्य रेल | कोडरमा         |
| पूर्व तटीय रेल | सिंहाचलम उत्तर |
| उत्तर रेल      | नरेला          |

| (1)                   | (2)         |
|-----------------------|-------------|
| उत्तर मध्य रेल        | मधुस        |
| दक्षिण रेल            | अबाडी       |
| दक्षिण मध्य रेल       | कृष्ण केनाल |
| दक्षिण पूर्व रेल      | बालीचक      |
| दक्षिण पश्चिम रेल     | बागारपेट    |
| दक्षिण पूर्व मध्य रेल | बिलासपुर    |
| पश्चिम रेल            | माकरपुर     |
| पश्चिम मध्य रेल       | बीना        |

(ख) प्रत्येक जोनल रेल में डीजल लोको शेड भीचे दी गई सारणी के अनुसार दिया गया हैः—

#### सारणी

| रेल जोन                | लोको शेड         |
|------------------------|------------------|
| (1)                    | (2)              |
| मध्य रेल               | कल्यान           |
| पूर्व रेल              | ठंडाल            |
| पूर्व मध्य रेल         | पटराटू           |
| पूर्व तटीय रेल         | विशाखापटनम       |
| उत्तर रेल              | लुधियाना         |
| उत्तर मध्य रेल         | झासी             |
| उत्तर पूर्व रेल        | गोढा             |
| उत्तर पूर्व सीमोनर रेल | न्यू गुवाहाटी    |
| उत्तर पश्चिम रेल       | अबु रोड          |
| दक्षिण रेल             | इरोड             |
| दक्षिण मध्य रेल        | काजीपेठ          |
| दक्षिण पूर्व रेल       | खड़गपुर          |
| दक्षिण पूर्व मध्य रेल  | रायपुर           |
| दक्षिण पश्चिम रेल      | हुबली            |
| पश्चिम रेल             | बतवा             |
| पश्चिम मध्य रेल        | न्यू कटनी जंक्शन |

- (ग) सभी छह उत्पादन इकाईयां जैसे-इंटीगरल कॉच फैक्टरी (आईसीएफ), रेल कोच फैक्टरी (आरसीएफ), चित्तरंजन लाकोमोटिव बक्स (सीएलडब्ल्यू), डीजल लोकोमोटिव बक्स (डीएलडब्ल्यू), डीजल कंपोनेंट बक्स (डीसीडब्ल्यू) और रेल क्लील फैक्टरी (आरडब्ल्यूएफ);
- (घ) भारतीय रेल की कार्बशालाओं जिनका का कुल वार्षिक ऊर्जा उपयोग 30,000 एमटीओई या अधिक है।
8. कपड़ा—तेल समतुल्य के 3000 मीट्रिक टन (एमटीओई) प्रतिवर्ष और अधिक
9. लुगारी और कागज—तेल समतुल्य के 30,000 मीट्रिक टन (एमटीओई) प्रति वर्ष और अधिक

**टिप्पणी :** 1. तेल समतुल्य मीट्रिक टन के निबन्धनों के अनुसार वार्षिक ऊर्जा खपत परिकलित करने के लिए नीचे सारणी में दिए गए ऊर्जा संपरिवर्तन मूल्यों का उपयोग किया जाएगा।

#### सारणी

|   |   |
|---|---|
| 1 कि.वा. घं   | 860 किलोकैलोरी (कि.कैलो.)   |
| 1 कि.ग्रा. कोयला/कोक  | प्रदायकर्ता का (कोयला कंपनी के) नवीनतम प्रमाण पत्र के अनुसार कुल कैलोरीफिक मूल्य  |
| 1 कि.ग्रा. चारकोल   | 6,900 कि. कैलो. या प्रदायकर्ता के नवीनतम प्रमाण पत्र के अनुसार  |
| 1 कि.ग्रा. भट्टी तेल/अंबिशिष्ट ईधन तेल/निम्न सल्फर भारी स्टाक/नेपथा | 10,050 कि. कैलो. (घनत्व = 0.9337 कि.ग्रा./लीटर) या प्रदायकर्ता के नवीनतम प्रमाणपत्र के अनुसार   |
| 1 कि.ग्रा. उच्च स्पीड डीजल  | 11,840 कि. कैलो. (घनत्व=0.8263 कि.ग्रा./लीटर) या प्रदायकर्ता के नवीनतम प्रमाणपत्र के अनुसार   |
| 1 कि.ग्रा. पैट्रोल  | 11200 कि. कैलो. (घनत्व = 0.7087 कि.ग्रा./लीटर) या प्रदायकर्ता के नवीनतम प्रमाणपत्र के अनुसार  |
| 1 कि.ग्रा. किरासीन  | 11,110 कि. कैलो. (एसकेओ का घनत्व = 0.7782 कि.ग्रा./लीटर) या प्रदायकर्ता के नवीनतम प्रमाणपत्र के अनुसार  |
| 1 कि.ग्रा तरलीकृत पैट्रोलियम गैस                                    | 12,500 कि. कैलो. या प्रदायकर्ता के नवीनतम प्रमाणपत्र के अनुसार  |
| 1 एम <sup>3</sup> प्राकृतिक गैस                                     | 8,000—10,500 कि. कैलो. (प्रदायकर्ता के नवीनतम प्रमाणपत्र के अनुसार वास्तविक कैलोरीफिक मूल्य पर विचार किया जाएगा) प्रदायकर्ता द्वारा प्रमाणपत्र जारी न किए जाने की दशा में 8,000—10,500 कि. कैलो/एम <sup>3</sup> के औसत पर विचार किया जाएगा।   |
| इधन के रूप में प्रयोग किए अन्य ईंधन या अपशिष्ट सामग्री या उपोत्पाद। | परीक्षण के लिए राष्ट्रीय प्रत्यान बोर्ड गए और व्यासमापन प्रयोग-शाला प्रत्यायन प्रयोगशाला या केन्द्रीय सरकार प्रयोगशाला या राज्य सरकार प्रयोगशाला या सरकार द्वारा अनुमोदित प्रयोगशाला के प्रमाणपत्र के अनुसार सकल कैलोरीफिक मूल्य, परन्तु कैलोरीफिक मूल्य के निर्धारण के लिए इधन का नमूना भी संबंध प्रयोगशाला द्वारा लिया गया ज्ञात। |

इस सारणी के प्रयोजन के लिए—(i) तेल समतुल्य का 1 कि.ग्रा. : 10,000 कि.कैलो.

(ii) तेल समतुल्य का 1 मीट्रिक टन (एमटीओई) :  $10 \times 10^6$  कि.कैलों।

(iii) कोवला, पैट्रोलियम उत्पादों और अन्य ईधनों की दशा में, प्रदायकर्ता के प्रमाणपत्र की अनुपस्थिति में (प्रदायकर्ता द्वारा इसके जारी न किए जाने के कारण), उपर्युक्त ईधन का सकल कैलोरिफिक मूल्य परीक्षण राष्ट्रीय प्रत्यामन बोर्ड और व्यासमापन प्रयोगशाला या प्रत्यायन प्रयोगशाला या केन्द्रीय सरकार प्रयोगशाला या राज्य सरकार प्रयोगशाला या सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त प्रयोगशाला से परीक्षण प्रमाणपत्र के अनुसार विचार किया जाएगा। परंतु कैलोरिफिक मूल्य के निर्धारण के लिए ईधन का नमूना संबंध प्रयोगशाला द्वारा लिया गया हो।

टिप्पणी:2 अधिनियम की अनुसूची में विनिर्दिष्ट ऊर्जा सम्बन्धीय या किसी स्थापना की घोषणा के लिए वार्षिक ऊर्जा उपभोग की सीमा को तेल समतुल्य मीट्रिक टन के निवैधनों में इस अधिसूचना की प्रकाशन की तारीख से प्रत्येक तीन वर्ष में पुनर्विलोकित किया जाएगा।

टिप्पणी:3 इस अनुसूची में उल्लिखित उपबंध रक्षा, परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष, आंतरिक भूरक्षा से संबंधित केन्द्रीय सरकार के मंत्रालय या विभाग या उन मंत्रालयों या विभागों के नियंत्रण-धीन उपक्रमों, या बोर्ड या संस्थाओं पर लागू नहीं होंगे।

[फा. सं. 10/13/2002-ई.एम.]

हरीश चंद्र, संयुक्त सचिव